DSC-III (Group B) भारत में राजनीतिक दल
Professor - A.K. Srivastava (Political party in India)
HOD - Political Science, Visthapit Mahavidyalaya (Balidih). (1)

1. राजनीतिक दलों से क्या समझते हैं। इसके आधारभूत तत्वों की विवेचना करें।

→ राजनीतिक दल प्रजातंत्र के सर्वाधिक तत्व है। ये वस्तुतः लोकतंत्र के प्राण है। इनके अध्ययन के बिना प्रजातंत्र का अध्ययन अधूरा समझा जाता है। राजनीतिक दलों के संगठन एवं कार्य-प्रणाली को समझे बिना किसी भी राज्य में प्रजातंत्र के व्यावहारिक ढाँचे या स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। इनके बिना सिद्धांतों का एकीकृत प्रकटीकरण, नीति का व्यवस्थित विकास तथा समुचित एवं व्यवस्थित चुनावों का होना संभव नहीं है। ये राष्ट्र के दिमाग को तरोताजा एवं जीवित रखते हैं तथा प्रशासन को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं।

राजनीतिक दल – परिभाषा एवं अर्थ

राजनीतिक दलों के अध्ययन के सिलसिले में अनेक अर्थ एवं परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। राजनीतिक दल उस संगठित मानव-समूह को कहते हैं जो समान राजनीतिक उद्देश्य रखकर अपने देश का शासन पर शांतिमय एवं वैध तरीकों से आधिपत्य जमाना चाहता है। विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इसकी प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

एडमंड बर्क (E. Burke) – "राजनीतिक दल उन मनुष्यों का समूह है, जो कुछ सिद्धांतों के आधार पर जिनसे वे सहमत हैं अपने संयुक्त प्रयत्नों से राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए सहमत रहते हैं।"

OPPO A5 2020

मैकाइवर (MacIver) - "राजनीतिक दल ऐसे सिद्धांतों एवं नीतियों के समर्थन में संगठित संघ है जिन्हें वह सांविधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाने के लिए प्रयत्नशील है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा समूह है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर समान विचार रखते हैं तथा जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सांविधानिक तरीकों से शासन यंत्र को हस्तगत करना चाहते हैं।

राजनीतिक दल के आधारभूत तत्व -

राजनीतिक दल की उपर्युक्त परिभाषाओं एवं विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके आधारभूत तत्व निम्नलिखित हैं -

1.) संगठन नागरिकों की सदस्यता
2.) राष्ट्रीय हित का ध्यान
3.) ज्ञान
4.) समितियाँ
5.) संगठन
6.) आकार
7.) सत्ता
8.) बल प्रयोग
9.) आर्थिक साधन
10.) शास्त्रास्त्रों पर नियंत्रण
11.) प्रेम और प्रभाव
12.) व्यक्ति आकर्षण
13.) विश्वास

OPPO A5 2020

(political party is a body of mend united for promoting by their joint endeavours the national interest, upon some particular principle in which they are all agreed.)

गिलक्राइस्ट (Gilchrist) - "राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित दल है जो समान राजनीतिक विचारों में विश्वास की घोषणा करते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं।"

(A political party may thus be defined as an organised group of citizens who profess to share the some political view and who by acting as a political unit, try Control the government.)

मैक्स वेबर - "राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ वह संगठन है, जो शासन शक्ति अपने हाथ में लेना चाहता है और उसे हस्तगत करने के लिए वह प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। शासन-शक्ति अपने हाथ में लेने के पीछे एक निश्चित लक्ष्य की सृष्टि हो या तो वस्तु-स्वार्थ हो या दोनों हो।"

विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्यकुशल बना सकती है और पूरी तरह नष्ट कर सकती है।

~~4) प्राप्तियाँ :- ज्ञान तत्व का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण प्रमुख है। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक~~

4) प्राप्तियाँ :- ज्ञान तत्व का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियाँ सर्वाधिक प्रमुख हैं। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राप्तियाँ या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन न तो यह एकमात्र स्रोत है और न ही निश्चित रूप से प्रभाव ~~एक स्रोत अवश्य है, लेकिन~~ डालने वाला स्रोत। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सकेगा।

OPPO A5 2020

1.) सजग नागरिकों की सदस्यता :- सजग नागरिकों की सदस्यता राजनीतिक दलों का प्रमुख आधारभूत तत्व है। नागरिक ही अपने सिद्धांतों एवं नीतियों के अनुसार शासन संचालन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दलों से तात्पर्य उन लोगों सजग नागरिकों से है जो किसी न किसी सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, संगठन कायम करने या रखने की इच्छा और क्षमता रखते हैं तथा अपने को संगठित कर शासन - संचालन में भाग लेने की इच्छा रखते हैं।

2.) राष्ट्रीय हित का ध्यान :- राजनीतिक दलों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित होना चाहिए। उनके सिद्धांत, नीतियाँ एवं कार्यों द्वारा समस्त राष्ट्र के हित को प्रश्रय मिलना चाहिए। जो राष्ट्रीय हित में व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं, उन्हें अपनी लोकप्रियता खो देनी होगी।

3.) ज्ञान :- प्रथम तत्व ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, शक्ति, उसकी सहन - शक्ति, उसकी इच्छा को अभिव्यक्त करने की शक्ति, अपने आप की शक्ति आदि

OPPO A5 2020

7.) सत्ता :- शक्ति की तीसरी महत्वपूर्ण श्रोत सत्ता। जिन तत्वों के कारण शक्ति अधिक शक्तिशाली बनती है। हम उसे सत्ता कहते हैं।

8.) बल प्रयोग :- बल प्रयोग भी शक्ति का एक श्रोत है। बल के प्रयोग द्वारा प्रतिक्रियाओं को रोका जा सकता है।

9.) आर्थिक साधन :- आर्थिक साधन भी शक्ति का एक श्रोत है, क्यों कि उसका प्रयोग करें विभिन्न लोगों को अपने प्रभाव में लाया जा सकता है। राजनेता इसके जरिए अशिक्षित जनता का मत खरीद लेते हैं।

10.) शास्त्रास्त्रों पर नियंत्रण :- कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर नियंत्रण इसलिए पा सकता है कि उसके पास शस्त्रास्त्र है। जिससे लोग डर जाते हैं।

11.) ~~प्रेम~~ प्रेम और प्रभाव :- शक्ति की अभिव्यक्ति केवल ताकत या प्रत्यक्ष दबाव के माध्यम से ही नहीं होती वरन प्रेम का प्रभाव के प्रदर्शन से भी होती है। प्रेम और प्रभाव से बड़ी-बड़ी शक्तियों को झुकाया जा सकता है। जैसे- महात्मा गांधी ने अपने प्रेम और प्रभाव से अंग्रेजों को झुका दिया।

12.) व्यक्ति आकर्षण :- कभी-कभी व्यक्ति विशेष का भी शक्ति का श्रोत बन जाता

OPPO A5 2020

5.) संगठन :- संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत भी है कि 'संगठन ही शक्ति है' (unity is strength)। विभिन्न प्रतिस्पर्धितापूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ तथा व्यापारिक संघ इसके उदाहरण हैं। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टतया राज्य ही है और इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित स्वरूप ही है।

6.) आकार :- अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह सोचा जाता है कि एक संगठन का जितना बड़ा आकार होगा, उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो, तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उलझा दे, उसे असंतुलित बना दे और उसे परिस्थितियों के अनुकूल न रहने दे। इसी कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने आकार को घटाने के लिए शुद्धि आंदोलनों (purges) का ~~आ~~ आश्रय लिया जाता है।

है जैसे - भारतवासी महात्मा गाँधी और सुभाषचंद्र बोस को याद कर न सिर्फ शक्ति अर्जित करते हैं, वरन् अपने को अनुशासित भी करते हैं।

13.) विश्वास :- शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत विश्वास है।

शक्ति के स्रोत एवं आधार के रूप में विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है। तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर ही आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता होती है। शक्ति की महानता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितनी सक्षम है। डॉ॰ मैकाइवर ने शक्ति के विभिन्न तत्वों का वर्णन करने के बाद कहा है कि "शक्ति की कार्य कुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है, जिनके अधीन उसे कार्य करना है।"

तथा इसकी निर्वाचन समिति संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के लिए उम्मीदवार का चयन करती है। युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल इसके सम्बद्ध संगठन हैं। मजदूर आंदोलन के क्षेत्र में कांग्रेस के सहयोगी संगठन के रूप में 'इण्टक' (INTUC — Indian National Trade Union Congress) कार्य करती है, जिसकी कुल सदस्यता लगभग 10 लाख है।

दिसंबर 1998 में पार्टी संविधान में संशोधन कर निम्न दो ~~तथा~~ व्यवस्थाएँ की गई हैं :

1. पार्टी पदों में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए तथा कम से कम 20 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होंगे।

2. सभी स्तर की कांग्रेस समितियों का कार्यकाल दो वर्ष से बढ़कर तीन वर्ष कर दिया गया है।

1998 में सोनिया गाँधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आसीन हुई तथा 2000 ई. में और 2003 ई. तथा 2006 ई. में वे इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुई हैं। गत तीन वर्षों से राहुल गाँधी दल के महासचिव हैं। 15 वीं लोकसभा के चुनावों में राहुल गाँधी ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका, दल के अध्यक्ष की तुलना में भी अधिक

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन चुनावों तथा चुनाव परिणामों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था को में राहुल गांधी के राजनीतिक कद को निश्चित रूप से बढ़ा दिया है। हाल ही के वर्षों में, विशेषतया 1984-2009 ई० के वर्षों में कांग्रेस की कांग्रेस की संस्कृति में भारी परिवर्तन आया है। आज कांग्रेस की संस्कृति कांग्रेस के परम्परागत मूल्यों से अलग हटकर है।

के लिए वार्तिकाओं को नगद लाभ और विशेष सुविधाएँ।

14.) छोटे उद्यमियों और लघु तथा मझले उद्यमों पर विशेष ध्यान देंगे।

15.) महँगाई पर नियंत्रण के साथ 'उच्च आर्थिक विकास दर' पर आगे बढ़ना जारी रखेंगे।

16.) 1 अप्रैल 2010 से वस्तु और सेवाकर शुरू करेंगे।

17.) युवाओं के लिए नए अवसर, न्यायिक विलंब दूर करने के लिए न्यायिक सुधार, विनयी उत्पादन में भारी वृद्धि, विकास में प्रवासी भारतीयों को शामिल करने और सामाजिक आर्थिक बदलाव का संकल्पना व्यक्त किया गया है।

18.) साम्प्रदायिक सद्भाव, विविधता में एकता को बनाए रखने, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि की बात कही गई है। कांग्रेस का लक्ष्य है 'समावेशी विकास' (Inclusive Growth) समस्त जनता का विकास।

इन सबके अतिरिक्त लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हेतु विधेयक पारित करने की बात को दोहराया गया है।

OPPO A5 2020

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का संगठनात्मक ढाँचा :- काँग्रेस के संगठन का ढाँचा कम से कम दिखावे में पूर्णरूपेण जनवादी है तथा इसकी इकाईयाँ देश के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत है। काँग्रेस की सदस्यता दो प्रकार की है- प्रारंभिक और सक्रिय। कम से कम 18 वर्ष की आयु वाला कोई भी व्यक्ति जो काँग्रेस के उद्देश्यों में आस्था रखता है, काँग्रेस का सदस्य बन सकता है, यदि वह किसी अन्य दल का सदस्य न हो। वह व्यक्ति जो दो वर्षों तक लगातार काँग्रेस का प्राथमिक सदस्य रह चुका है तथा जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है, 100 रुपए का चंदा देकर अथवा 25 प्राथमिक सदस्यों की भर्ती करके काँग्रेस की सक्रिय सदस्यता प्राप्त कर सकता है। काँग्रेस का अध्यक्ष तथा उसकी कार्यकारिणी अखिल भारतीय काँग्रेस समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिनके सदस्य प्रांतीय काँग्रेस समितियों द्वारा निर्वाचित होते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी समिति काँग्रेस का सर्वोच्च अंग तथा सर्वोच्च नीति नियंता समिति है। दिसंबर 1998 में किए गए संशोधन के अनुसार अब केंद्रीय मंडल तथा चुनाव समिति में अब 9 सदस्य होंगे। काँग्रेस संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के लिए उम्मीदवार का चयन करती है। युवक काँग्रेस का संसदीय मंडल दल के संसदीय कार्यों का निर्देशन करता है

OPPO A5 2020

5.) देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी।

6.) सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा - उच्च शिक्षा के लिए वजीफा या शिक्षा ऋण।

7.) उच्च शिक्षा - आई. आई. टी, आई. आई. एम आदि संस्थाओं का व्यापक विस्तार।

8.) अगले पाँच वर्षों तक प्रत्येक ब्लॉक, हर वर्ष एक नए आदर्श विद्यालय की स्थापना।

9.) शिक्षकों के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूलों की सुविधाओं में सुधार।

10.) किसानों के लिए - सीमांत किसानों को कम ब्याज दरों पर बैंक, कर्ज, कृषि, विविधीकरण, ग्रामीण उद्योगीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के दरवाजे पर सरकारी ~~एक~~ खरीद।

11.) समाज के सभी कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे।

12.) सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण महिलाओं को कम से कम आधी आबादी बैंकों से जुड़ें और स्व सहायता समूहों की सदस्य बनें।

13.) बच्चों की विशेष जरूरतों, खासकर लड़कियों पर ~~अ~~ विशेष ध्यान देंगे। लिंगानुपात सुधारने

14.)

15.)

16.)

17.)

18.)

OPPO A5 2020

2004 तक कांग्रेस भारत का मुख्य विपक्षी दल था। 14वीं लोकसभा चुनावों के आधार पर कांग्रेस ने लोकसभा के सबसे बड़े दल और कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़े गठबंधन की स्थिति प्राप्त कर सत्ता प्राप्त कर ली। 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद (मई 2009) में पुनः डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन' सरकार का गठन हुआ है।

15वीं लोकसभा के चुनाव और कांग्रेस

का चुनाव घोषणा-पत्र :- 2009 में

में चुनावों में कांग्रेस ने डॉ. मनमोहन सिंह को पुनः अपना उम्मीदवार घोषित किया घोषणा-पत्र के अनुसार वे एक ईमानदार, बुद्धिमान और ठोस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व की जान और अनुभव की आज राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। यह भी कहा गया है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए डॉ. मनमोहन सिंह के नाम और 'न्यूक्लीयर डील' पर कोई समझौता नहीं करेगी। 2004-09 के शासनकाल में सबसे प्रमुख उपलब्धियां बताई गई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा गारंटी योजना, 65,000 करोड़ रु० का राष्ट्रीय कृषि ~~माफ~~ ऋण माफी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन व्यवस्था, महिला अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक अर्थात समस्त कमजोर वर्गों

1.)

2.)

3.)

4.)

OPPO A5 2020

के सशक्तिकरण हेतु बनाए गए कानून कार्यक्रम और कार्य देश की सुरक्षा की रक्षा और प्रतिष्ठा में वृद्धि, आर्थिक समझौता और भारत की नई वैश्विक पहचान आदि। घोषणा-पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि 'कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसके पास अखिल भारतीय दृष्टि है और जिसकी देश भर में मौजूदगी है।'

भविष्य की राह (2009-14) के रूप में घोषणा-पत्र के कुछ अति बिंदु निम्न प्रकार हैं:

1) आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करना, सुनिश्चित करेंगे तथा देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के सभी संभव प्रयत्न किये जाएँगे।

2) 2011 तक सभी नागरिकों के लिए 'राष्ट्रीय पहचान-पत्र' देना सुनिश्चित करेंगे।

3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा गारंटी योजना के क्रियान्वयन की सभी कमियाँ दूर की जाएँगी।

4) ऐसा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे सभी लोगों को 'पर्याप्त भोजन के अधिकार' की गारंटी मिले। इस दृष्टि से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार को कानून प्रति माह 3 रु प्रति किलो की दर से 25 किलो गेहूँ या चावल प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होगी।

OPPO A5 2020

Q. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पर निबंध लिखें।

1885 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी, स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय कॉंग्रेस में सभी विचारधारा वाले व्यक्ति सम्मिलित थे और स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रीय कॉंग्रेस का वह स्वरूप बना रहा। सन् 1948 में, महात्मा गाँधी तथा, 1950 ई० में सरदार पटेल के देहावसान के बाद कॉंग्रेस पर पं० नेहरू का एकछत्र नेतृत्व स्थापित हो गया। 1964 में पं० नेहरू के निधन के बाद भी कॉंग्रेस ही भारत का सबसे प्रमुख दल बना रहा। 1969 में कॉंग्रेस का दो दलों - सत्ता कॉंग्रेस और संगठन कॉंग्रेस में विभाजन हुआ। संगठन कॉंग्रेस की शक्ति में उत्तरोत्तर कमी होती चली गई। 1978 में पुनः कॉंग्रेस दो दलों - रेड्डी कॉंग्रेस और इंदिरा कॉंग्रेस में विभाजित हो गई। यह विभाजन किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। कालांतर में इंदिरा कॉंग्रेस ही भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 1994 में इंदिरा ने पुनः वैधानिक रूप से 'भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस' के नाम को धारण कर लिया।

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस : नीति तथा कार्यक्रम :— 1977-79 तथा 1989-90 के अपवाद स्वरूप समय को छोड़कर कॉंग्रेस 1996 के मध्य तक भारत का शासक दल रहा है, लेकिन 11वीं लोकसभा चुनावों (1996) में कॉंग्रेस ने सत्ता खो दी और 12वीं लोकसभा के चुनावों में कॉंग्रेस दल की शक्ति में और कमी हुई। 1998 में अप्रैल

OPPO A5 2020

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हैं और जनता का ध्यान उन पर लाकर जनता का सहयोग चाहते हैं।

3.) शासन सत्ता को मर्यादित करना :- शासक दल कहीं अपने बहुमत के आधार पर सरकार की शक्तियों और धन का दुरुपयोग न करे, जनता के हितों की उपेक्षा न करे, तानाशाही रवैया प्रयोग न करे, इन सब कारणों से विरोधी राजनीतिक दल सरकार पर अंकुश लगाकर उसे मर्यादा में रखना चाहते हैं, यदि सत्ता दल फिर भी न माने तो विरोधी दल, सत्ता पक्ष के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, जनमत जगाते हैं, जेलें भरते हैं, सभाएँ करते हैं जिससे सत्तापक्ष दल मर्यादा में रहें।

4.) शासन तंत्र का अधिकार की चेष्टा :- राजनीतिक दल निर्वाचनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दल निर्वाचनों में अपने अधिक से अधिक प्रतिनिधि खड़े करते हैं। प्रतिनिधि अपने योग्यतानुसार चुनावों में प्रचार करते हैं। उनका उद्देश्य चुनाव में जीतकर बहुमत बनाना होता है। बहुमत वाला दल ही सरकार बनाता है अतः शासन में आकर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य शासनतंत्र पर अपना अधिकार करना होता है।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन चुनावों तथा चुनाव परिणामों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में राहुल गांधी के राजनीतिक कद को निश्चित रूप से बढ़ा दिया है। हाल ही के वर्षों में, विशेषतया 1984-2009 ई० के वर्षों में कांग्रेस की कांग्रेस की संस्कृति में भारी परिवर्तन आया है। आज कांग्रेस की संस्कृति कांग्रेस के परंपरागत मूल्यों से अलग हटकर है।

(3.) भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व का वर्णन करें।

→ आधुनिक युग में दलीय पद्धति प्रजातंत्र के लिए प्राणवायु के समान है। आधुनिक लोकतंत्रीय शासन में राजनीतिक दलों के अग्रलिखित कार्य हैं—

1.) राजनीतिक चेतना का प्रचार,
2.) राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का जनता को ज्ञान कराना,
3.) शासन सत्ता को मर्यादित करना,
4.) शासन तंत्र के अधिकार की चेष्टा,
5.) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करना,
6.) व्यवस्थापिका के सदस्यों में एकता एवं संगठन,
7.) निर्वाचकों से संपर्क बनाना,
8.) सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करना,
9.) सरकारी कर्मचारी का निर्वाचन,

OPPO A5 2020

5.) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करना :- सरकार एक साध्य के समान होती है। इसकी सफलता के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन होने से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दो दल अलग-अलग प्रभावी हो सकते हैं लेकिन संसदीय सहस्थी शासन-प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में एक ही दल प्रभावी होता है, इसलिए दोनों में सामंजस्य होना अनिवार्य है।

6.) व्यवस्थापिका के सदस्यों में एकता एवं संगठन:- राजनीतिक दलों के कारण ही व्यवस्थापिका में सदस्यों के बीच एकता तथा संगठन स्थापित रहता है। व्यवस्थापिका में दल के सचेतक (Whips) होते हैं जो समय-समय पर अपने सदस्यों को दल की नीतियों के समर्थन के लिए सचेत करते रहते हैं। अपने दल की नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्य करने वाले राजनीतिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार राजनीतिक दल व्यवस्थापिका में अपने सदस्यों के बीच संगठन स्थापित करते हैं।

7.) निर्वाचकों से संपर्क बनाना :- राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये दल जनता की शिकायतों, शासनतंत्र की ज्यादतियों,

OPPO A5 2020

10.) जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना,
11.) जनमत का निर्माण करना,
12.) चुनावों का संचालन करना,
13.) सरकार तथा वैकल्पिक सरकार निर्माण।

1.) राजनीतिक चेतना का प्रचार :- राजनीतिक दल समय-समय पर सार्वजनिक सभाओं में भाषण देकर रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारण करके, पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रचार करके, राजनीतिक प्रश्नों पर जनता की चेतना जगाने का कार्य करते हैं। चुनाव के समय दल अपने-अपने घोषणा-पत्रों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास करते हैं। जनता उन सबके बारे में सोच-समझकर निर्णय करती है कि कौन-सा दल और उसकी नीतियाँ उचित हैं। लॉवेल (Lowell) राजनीतिक दलों को विचारों के दलाल (Brokers of Ideas) कहता है।

2.) राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का जनता को ज्ञान कराना :- जनसाधारण के लोग अपने राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होते हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता या या वे इतने परिपक्व विचारों के नहीं होते कि उन्हें समझ सकें या उनके साधन सीमित हों या उनमें इसके प्रति रुचि न हो। राजनीतिक दल जनता को